गुर्दे का गंदा धंधा

के.एम.सीती

कुछ माह पूर्व केरल का गुर्दों का धंधा सुर्खियों में था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस धंधे में प्रदेश के उत्तरी ज़िलों के कुछ निजी अस्पताल शामिल हैं। मगर सरकार इस मामले में कार्रवाई करने से कतरा रही है क्योंकि इसमें दोषी लोग नए उभरते स्वास्थ्य उद्योग के बड़े लोग हैं। यही लोग राज्य की नीतियां तय करवाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि चिकित्सा समुदाय को यह जानकर धक्का लगा है कि उसका नेतृत्व भी इस अनैतिक क्रियाकलाप का बचाव कर रहा है। इस संदर्भ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल शाखा अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। राज्य सरकार, केरल उच्च न्यायालय, राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग सभी गुर्दों के धंधे के पीड़ित लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों से जूझ रहे हैं।

23 वर्षीय युवती रजनी ने बताया कि जब वह गर्भवती थी, उसे गुर्दा 'दान' करने को मजबूर किया गया। वह उस समय अपने पहले बच्चे को दूध पिला रही थी। रजनी ने अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ से गुहार की कि उसके गर्भ के बच्चे को न मारे। किन्तु उसका गर्भ नष्ट कर दिया गया और एक महीने के अन्दर उसका गुर्दा निकाल लिया गया।

अंग प्रत्यारोपण के मामले में केरल को एक सुरक्षित राज्य माना जाता था जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली तो काफी समय से खबरों में रहे हैं। मगर हाल में केरल में जो तथ्य सामने आए हैं उनसे कुछ बेचैनी जनक मुद्दे उभरे हैं। राज्य सरकार निजी निहित स्वार्थों की रक्षा करती नज़र आ रही है। कोज़ीकोड, त्रिशुर और मलप्पुरम ज़िलों में गुर्दा प्रत्यारोपण के तथ्य स्वास्थ्य उद्योग और दलालों के गठबंधन को उजागर करते हैं।

गुर्दा प्रत्यारोपण विवाद ज़्यादा संवेदनशील इसलिए भी हो गया है क्योंकि इस धंधे के अधिकांश पीड़ित लोग इदुक्की और वायनाड ज़िलों के आदिवासी हैं। दलालों व अस्पताल के अधिकारियों ने छल पूर्वक इनके गुर्दे 'दान' करवा लिए थे। खबरों के मुताबिक अधिकांश प्रत्यारोपण ऑपरेशन कोज़ीकोड, मलप्पुरम और त्रिशुर के चन्द निजी अस्पतालों में किए गए। वर्ष 2001-2002 के दौरान कम से कम 150 मामलों में अधिकारिक समिति ने प्रत्यारोपण की इजाज़त दी थी। अकेले कोज़ीकोड ज़िले के मात्र तीन निजी अस्पतालों ने पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 297 गुर्दा प्रत्यारोपण किए। इनमें से 211 गुर्दे असम्बंधित व्यक्तियों द्वारा 'दान' किए गए थे। प्रमुख सवाल ये हैं - क्या अस्पताल के अधिकारियों ने किसी तरह इन 'दानदाताओं' को प्रभावित किया था? क्या 'दानदाता' और 'प्राप्तकर्ता' के बीच पैसे का कोई लेनदेन हुआ था? क्या 'गुर्दा दान' के इन मामलों में आदिवासियों का शोषण हुआ? क्या मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 का किसी भी रूप में उल्लंघन हुआ?

जब ये खबरें मीडिया में आने लगीं तो सबसे पहले सरकार ने डी.आई.जी. मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में एक जांच शुरू करवा दी। डी.आई.जी. ने अपनी रिपोर्ट में इस गैर कानूनी गुर्दा व्यवसाय के हैरतअंगेज़ प्रमाण प्रस्तुत किए। हाल में कोज़ीकोड व त्रिशुर के तीन अस्पतालों में किए गए 23 प्रत्यारोपणों में से 18 गैर कानूनी थे। इस जांच के दरम्यान गुर्दा व्यवसाय के कुछ पीड़ितों ने आगे आकर अपनी आपबीती सुनाई।

मसलन, इदुक्की ज़िले की एक 23 वर्षीय युवती रजनी ने बताया कि जब वह गर्भवती थी, उसे गुर्दा 'दान' करने को मजबूर किया गया। वह उस समय अपने पहले बच्चे को दूध पिला रही थी। रजनी ने अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ से गुहार की कि उसके गर्भ के बच्चे को न मारे।